(रमेश कल्हावड़िया)

कद बिकैगा अन्ना तेरा लोकपाल...

परमार्थ लिया ऊठ देश तैं,
स्वार्थ में इनसान बिकै।
एक–आधे की बात छोड़ दे,
ना तो सबका दीन इमान बिकै ।।

कती गिरा हुआ बेटी बेचै,
स्वार्थ में खुद बाप बिकै
पंचायती भी बिकण लागगे,
मेंबर सरपंच आप बिकैं
भरी सभा में झूठ बोलदें,
फ़ेर सच्चाई इनसाफ़ बिकै
फ़ौज पुलिस की भर्ति के म्हा,
कद छाती का नाप बिकै
दारु पी कै वर्कर बिकज्यां,
बूढ़ा और जवान बिकैं।
दो दिन हाडै कार में,
फ़ेर हल्के का प्रधान बिकै।।

रोड के ऊपर बिकै सिपाही,
दरोगा बिकता थाने में
तसीलदार पटवारी बिकता,
मामूली फर्द बणाणे में
न्याय का मालिक जज बिकता
पापी को बरी कराणे में
साधू संत संन्यासी बिकते,
ले पैसा नाम जपाणे में
राधे श्याम सीता राम,
महाबली हनुमान बिकै।
मंदिर के म्हा गीता बिकती
मस्जिद बीच कुरान बिकै।।

पूजा ऊपर पंडित बिकता ,
योहे हाल पुजारी का
हॉस्पीटल में बिके डॉक्टर,
ना तो हो नहीं इलाज बीमारी का
दफ्तर के म्हा बाबू बिकता,
काम करै गद्दारी का
वोट तलक भी बिक्या हुआ सै,
भारत के नर नारी का
इस जनता नै धोखा दे कै,
नेता बेइमान बिकै।
चपरासी से ले प्रधान मंत्री,
एम पी तक की शान बिकै।।

पैसे की भूख में भडवे गायक,
बिकते गंदा गाणे म।
गाने वाली बिकती देखी,
बेशर्मी से इतराणे म।
रिश्ते–नाते प्यार–मोहब्बत,
बिकने आज जमाने म
आण–काण मर्याद बेचदी,
इस कलयुग के पैमाने म
रमेश कुमार कलाहवड़ आले,
मूर्ख और विदवान बिकै।
हम खड़े देखते रहज्यां,
एक दिन प्यारा हिंदूस्तान बिकै।।

(पुलिस के सिपाही द्वारा प्रेषित)

पेज 1 का शेष

हत्यारे आजाद, निर्दोष जेल में बन्द और बर्बाद

बाहरीतौर पर देखने से, सब कुछ ठीक-ठाक नज़र आया तो गुप्ता जी की तसल्ली हो गयी। बात आई-गई हो गयी। पुलिस ने हत्या के केस में उक्त दोनों 'हत्यारों' को पकड़ कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली थी। मामला यह बनाया गया कि उनमें से एक मृतक की पत्नी के गांव का है और इस बहाने उनके मृतक की पत्नी से शारीरिक सम्बन्ध थे। कॉल डिटेल के अलावा फ़र्जी सबूत भी उनके विरुद्ध जुटाए गए।

करीब 7 माह बाद, (दीवाली के आसपास) गुप्ता को लक्ष्मी-पूजन हेतु जब अपने काले धन की जरूरत पड़ी तो उसने पाया कि पड़ोसी की अल्मारी में रखवाई गयी अटैची तो बिलकुल खाली पड़ी है। अब तो गुप्ता के पैरों की ज़मीन खिसक गयी। उसने स्वाभाविक हिसाब लगाया कि हत्या के आरोप में जो दो लोग (धर्मेंदर व रमिया) जेल में हैं, उन्होंने ही उसका माल चुराया था और पुलिस ने चोरी का माल तो हज़म कर लिया तथा चोरों का केवल हत्या के केस में चालान कर दिया।

अपने पैसे के बल पर तत्कालीन (सी पी) पुलिस कमिश्नर कपूर से दबाव डलवा कर गुप्ता ने चोरी की एक एफ आई आर नम्बर 272 दिनांक 10.11.12 को दर्ज कराई। इस एफ आई आर में यह झूठ लिखाया गया कि चोरी गुप्ता के अपने घर नं. 632 से हुई जबकि वास्तव में चोरी तो पड़ोस के घर नं. 631 से हुई थी। इसमें यह भी झूठ लिखाया गया कि चोरी केवल 2 लाख नकद व कुछ जेवरात, जिनकी सूची बाद में दे दी जायेगी, की हुयी है। दरअसल सारा माल गुप्ता ने आयकर विभाग से चोरी करने के लिए ही तो छिपाया था। अबभला पूरा जिक्र एफ आई आर में कैसे करता। यह सब सी पी कपूर की जानकारी में था।

चोरी के मुकदमें की तफ़तीश सी आई ए बड़खल को दे दी गयी। पुलिस की टीम ने सबसे पहले कत्ल के सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 83/12 की मिसल का अध्ययन किया जिसमें उक्त दोनों बेगुनाह जेल में बंद हैं। इसी मिसल से मिले सूत्रों के आधार पर सी आई ए पुलिस ने बॉबी व कुलदीप को अलग-अलग हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मजे की बात तो यह है कि बॉबी चोरी व हत्या करने के बावजूद अभी तक गुप्ता की कार-ड्राइवरी कर रहा था। वह गुप्ता को थाने व चौकियों में लेकर बेखौफ़ आता-जाता रहा।

पुलिस की पूछताछ के दौरान बॉबी व कुलदीप ने सारी सच्चाई उगल दी। इन्होंने यह भी बताया कि कोठी का तीसरा चौकीदार बुध सिंह भी उनसे मिला हुआ था। उसी ने भीतर जाने के लिये हत्या की रात दरवाजे की कुंडी खुली छोड़ी थी। थाना एन आई टी की नालायकी देखिये कि इसी बुध सिंह को उसने कत्ल के मुकदमे में झूठे फंसाये आरोपियों के विरुद्ध बतौर गवाह रखा हुआ है।

सी आई ए पुलिस की पूछताछ पूरी होने पर अधिकांश माल की बरामदी बॉबी के घर से हो गयी। कुछ माल जो उसने सुनार को बेचा था, वहां से बरामद हो गया। करीब 90 हीरे ज्यों के त्यों सुनार से बरामद हो गये। नकद पैसा जो चोरों ने खा-पी लिया था उसे पुलिसिया डंडे के बल पर उनसे वसूल कर 35 लाख की नकदी पूरी की गयी।

उधर इतनी बड़ी बरामदगी तथा एक हत्या का 'खुला' मामला पुन: खुलने की सूचना जब उच्चाधिकारियों को दी गयी तो हड़कम्प मच गया। मामले की तसदीक करने के लिये एस एच ओ एन आई टी अनिल कुमार, सी आई ए भोपानी व सेक्टर 48 के इन्सपेक्टर अनिल कुमार, व मदन तथा तत्कालीन ए सी पी एन आई टी रमेशपाल दौड़ते हुए सी आई ए बड़खल पहुंचे। पूरी केस डायरी (ज़िमनियां) पढीं तथा अपनी पूरी तसल्ली करने के लिये चोर एवं हत्यारे बॉबी से काफ़ी समय तक बातचीत कर खूब तसल्ली करने के बाद उन्हें तफ़तीश की सच्चाई पर जब यकीन हो गया तो डी सी पी क्राइम, ज्वायंट सी पी व सी पी को सारी हकीकत से अवगत कराया गया।

पर हत्या के मामले में चालान कोर्ट में पेश किया जा चुका था, ट्रायल शुरू हो चुका था, बेशक बेगुनाहों के विरुद्ध ही सही। ऐसे में पुलिस के लिये यह बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि वह पहले से फ़ंसाये गये दो आरोपियों को निकाल कर असल हत्यारे को कैसे हत्यारोपी बनाये। यद्यपि सी आई ए के तफ़तीशी-अधिकारी ने अपनी ज़िमनियों में सारी सच्चाई लिख दी थी, फ़िर भी उच्चाधिकारियों के आदेश पर इस तफ़तीश को हत्या से न जोड़कर, केवल चोरी तक ही सीमित रखा गया। जाहिर है हत्या के मुकदमे में दो बेगुनाहों को जेल भेज चुके तफ़तीशी अधिकारी एवं सी पी के चहेते एस एच ओ एन आई टी अनिल कुमार को फंसता देख कर ही उच्चाधिकारियों ने ऐसा गैरकानूनी तथा अमानवीय आदेश दिया होगा।

अपने आप को और अधिक सुरक्षित करने के लिये एस एच ओ अनिल ने सी आई ए द्वारा की गयी (चोरी की) तफ़तीश की फ़ाइल में से जिमनी का वह पन्ना ही गायब कर दिया जिसके पैरा नं. 4 में बॉबी द्वारा हत्या की स्वीकारोक्ति दर्ज की गयी थी। एस एच ओ अनिल द्वारा बेगुनाहों को हत्यारोपी बनाकर जहां एक गंभीर संज्ञेय अपराध किया गया था वहीं केस डायरी का पन्ना गायब करके उसने दूसरा संज्ञेय/संगीन अपराध किया है।

दरअसल, एस एच ओ अनिल को जिमनी पढने की आदत ही नहीं है, क्योंकि उसे लूटने खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। यह जिमनी भी उसे इसलिये पढनी पड़ी कि इसकी मांग अदालत में उक्त बेगुनाह हत्यारोपियों ने अपने बचाव में कर ली थी। कोर्ट में जब इसकी मांग की गयी तो एस एच ओ ने कहा कि वह डी सी पी मुख्यालय की परमीशन के बाद अगली तारीख पर देगा। इसके बाद फ़ाइल पढी गयी और जिमनी का वह पन्ना गायब किया गया।

गौरतलब है कि उस वक्त ज़िला पुलिस के उच्चतम पुलिस अधिकारी सी पी शत्रुजित कपूर थे। इन्हें हरियाणा काडर के श्रेष्ठतम एवं ईमानदार पुलिस अधिकारियों में समझा जाता रहा है। वैसे तो इस शहर में आने के बाद उनका यह मुल्लमा काफ़ी हद तक उतर चुका था लेकिन इस केस ने तो उन्हें पूरी तरह नंगा करके रख दिया है। दो-दो बेगुनाहों को हत्या के मामले में लपेटने के लिये जितना बड़ा दोषी एस एच ओ अनिल कुमार है उससे कई गुणा बड़ा दोषी शत्रुजित कपूर है। खासतौर पर सच्चाई सामने आने के बाद कपूर का चुप रहना उन्हें षड़यन्त्रकारी की भूमिका में पूरी तरह फ़िट करता है।

क्या कपूर के पास इस बात का कोई जवाब है कि जब गुप्ता के माल की चोरी कोठी नं. 631 में से हुई थी तो एफ आई आर में ग़लत नं. 632 क्यों लिखाया पाया? जब माल डेढ-दो करोड़ का था तो एफ आई आर में केवल दो लाख क्यों लिखवाया गया? बरामदगी पूरी करके इसे माल मुकदमा नहीं बनाया गया और बरामद हीरे-जेवरात व नकद 35 लाख गुप्ता को किस आधार पर दे दिये गये? क्यों नहीं इस बाबत आयकर विभाग को सूचित किया गया? यहां तक कि बरामदगी करने वाली पुलिस पार्टी को कड़ी हिदायत थी कि इस मामले में (गुप्ता की ओर से) कोई शिकायत नहीं आनी चाहिये तथा पूरी बरामदगी की वीडियोग्राफ़ी कराई जाय जो कि पुलिस ने अपनी जेब से कराई भी।

विदित है कि एस एच ओ अनिल कुमार एन आई टी थाने में तैनाती से पूर्व सी आई ए स्टाफ़ डी एल एफ में था। वहां भी इसके काले कारनामों के बावजूद कपूर ने इसे एन आई टी थाने का एस एच ओ लगाया। शायद ही कोई दिन जाता होगा जब यह एस एच ओ कोई घोटाला न करता हो। क्या 'ईमानदार' कपूर को यह सब दिखाई नहीं देता था। कपूर की यहां तैनाती के दौरान एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया था कि इस एस एच ओ ने कपूर को एक जायदाद के मुकदमे में नकद 60 लाख दिलाये थे। उस वक्त यह बात गले नहीं उतरती थी, परन्तु इस एस एच ओ पर उनकी इतनी मेहरबानियों को देखते हुए अब इस बात को भी गले उतारा जा सकता है।

कहते हैं रोज़ अपराधियों से वास्ता पड़ने के कारण पुलिसवालों की संवेदना मर जाती है। पर क्या इस सीमा तक कि निर्दोषों को हत्या के आरोप में फ़ांसी की कोठरी तक पहुंचा दिया जाय। सभी जानते है कि पुलिस अपने महकमे के शातिरों को बचाती है। पर क्या इस मामले में बेगुनाहों को छुड़ाने की पहल हरियाणा पुलिस करेगी?

लोकपाल: जोकपाल नहीं जोंकपाल!

संदर्भवश प्रेमचन्द की एक मशहूर कहानी 'कानूनी कुमार' याद आती है। इस कहानी का नायक बात-बात पर कानून बनाने का सुझाव देता है। उसके अनुसार हर पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक नैतिक जैसी समस्यायें कानून बनाकर हल की जा सकती हैं। राहुल गांधी की सोच भी ऐसी ही है। वे सन् 2005 के 'आर टी आई' अधिनियम को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का तन्त्र खड़ा करने में पहला कदम मानते हैं, जो उनकी सरकार द्वारा उठाया गया था। क्या राहुल गांधी, उनकी पार्टी या उनकी सरकार जनता को यह बताने का कष्ट करेगी कि उपरोक्त आर टी आई से कितना भ्रष्टाचार कम हुआ? कम से कम जनता को तो कोई राहत मिली नहीं। उल्टे इन 7-8 वर्षों में सरकारी घोटालों की बाढ आ गयी है।

लोकपाल अधिनियम को 'ऐतिहासिक' बताने वालों की कमी नहीं। पर सच्चाई यह है कि कानूनविदों द्वारा अपनी जटिल भाषा में लिखा हुआ जटिल प्रक्रियाओं का यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जो सामान्यजन की समझ से बाहर की चीज़ है। क्योंकि, इसकी मशीनरी को भी तेल देने के लिये वकीलों और दलालों की भारी-भरकम फ़ौज की भूमिका रहेगी, लिहाज़ा इससे राहत की उम्मीद करना आम आदमी की जेब की पहुंच से बाहर की बात होगी। अन्तत: लोकपाल का यह सारा मंच राजनीतिक, प्रशासनिक व कार्पोरेट उठापटक का ड्रामा-स्थल ही सिद्ध होगा। अन्ना का कहना है कि वे हर प्रदेश व हर ज़िले में ऐसे नागरिक 'निगरानी समूह' कायम करेंगे जो लोकपाल कानून के कार्यान्वयन पर नज़र रखेंगे। इन समूहों में अवकाश प्राप्त जज, पुलिस अधिकारी, प्रशासक, सिविल सोसायटी के लोग होंगे। दूसरे शब्दों में, अन्ना के अनुसार, जो लोग सरकारी नौकरी में रहते हुए जनता की ऐसी-तैसी कर रहे थे, अवकाश प्राप्ति के बाद अचानक देवता बन कर भ्रष्टाचार रूपी राक्षस से जनता को निजात दिलायेंगे।

सवाल यह है कि खुद लोकपाल के पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है जिससे वह भ्रष्टाचार को समाप्त कर पायेगा? लोकपाल को भी उसी सी बी आई, उसी सी वी सी, उसी पुलिस व विंजिलैंस मशीनरी, उसी न्याय-मशीनरी पर ही तो निर्भर रहना होगा जिनके चलते भ्रष्टाचार इतनी विकराल समस्या बना हुआ है।

देखा जाय तो भारतीय संसद भी लोकपाल बनाते हुए भ्रष्टाचार की अजेयता को ही स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर हर स्तर के सरकारीकर्मी को लोकपाल के निशाने पर लाने से यही सिद्ध होता है कि वे सभी भ्रष्टाचार की कीचड़ से ऊपर नहीं हैं। यह भी जाहिर है कि सरकार व संसद यह मान रहे हैं कि अब तक के तमाम कानून व तमाम विभाग इस मोर्चे पर पूरी तरह असफ़ल रहे हैं जिससे अब लोकपाल बनाने की जरूरत पड़ी। सवाल है कि जब सारी व्यवस्था ज्यों की त्यों है तो लोकपाल का हश्र भी पहले के कानूनों व विभागों जैसा ही क्यों नहीं होगा?

राजा की मूंछ बनेगी लोकपाल की पूंछ

लोकपाल का हश्र क्या होगा, इसे भारतीय लोक परंपरा में प्रचलित 'राजा की मूंछ' नामक कहानी से जाना जा सकता है। राजा को हर रात सोने के बाद एक गिलास मलाईदार दूध पिलाने की ड्यूटी एक राजसेवक की थी। राजा को शक हुआ कि राजसेवक कुछ दूध स्वयं पी जाता है। लिहाज़ा उस पर निगरानी हेतु एक वरिष्ठ राजसेवक रखा गया। राजा का शक फ़िर भी बरकरार रहा। अब दोनों की निगरानी के लिये एक इन्सपेक्टर लगाया गया। क्योंकि दूध की चोरी बढती ही जा रही थी, लिहाज़ा निगरानी महकमा भी बढता गया। इन्सपेक्टर के ऊपर सुपरिंटेंडेंट, उसके ऊपर विजिलेंस अफ़सर, उसके ऊपर सतर्कता आयोग और अंत में इन सबके ऊपर एक सर्वशक्तिमान अधिकारी को नियुक्त किया गया।

दूध की चोरी तो रुकनी नहीं थी। क्योंकि हिस्सा बांटने वालों की संख्या बढती चली गयी थी इसलिये अंत में राजा को पिलाने के लिये उनके पास एक चम्मच दूध भी नहीं बचता था। अब उन्होंने राजा की मूंछ पर थोड़ी सी मलाई लगानी शुरू कर दी। इससे जब राजा सोकर सुबह उठता तो आइने में मूंछों पर लगी मलाई देखकर उसे विश्वास हो जाता कि उसने वास्तव में रात में पूरा दूध पीया होगा।

यही हाल लोकपाल को लेकर भारतीय जनता का होने जा रहा है। उसे, लोकपाल की पूंछ के ही दर्शन होने हैं। यह पूंछ बयानबाज़ियों, दावों, विज्ञापनों, आरोपों-प्रत्यारोपों, आंकड़ों के रूप में जब-तब उसे दिखाई जाती रहेगी। कहानी के राजा की तरह उसे भी लगता रहेगा कि लोकपाल का तन्त्र उसके लिये ही काम कर रहा है। कब तक?